**(वाद सं0.–4695/4/8/2020)**

05.08.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, माधुरी कुमारी के पति, विजय कुमार वर्मा को, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र संग्रामपुर के द्वारा मार्च 2019 से जून 2020 तक के वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसरिया के साथ –साथ जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्रतिवेदन की मांग की गईं।

जिला पदाधिकारो, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि आवंटन प्राप्त होने के बाद भी सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा वेतन भुगतान का स्वीकृति आदेश नहीं दिया जा रहा है।

पुनः राज्य आयोग द्वारा **सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारो** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **प्रभारी चिकित्सा पदधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सग्रामपुर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के पति, श्री विजय कुमार वर्मा, लिपिक, , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संग्रामपुर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संग्रामपुर के पत्रांक 305 दिनांक–05.05.2022 के द्वारा स्पष्ट किया गया है

कि सभी लंबित वेतन बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, जिस तथ्य का समर्थन परिवादी के पति विजय कुमार वर्मा, लिपिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संग्रामपुर, पूर्वी

चम्पारण, मोतिहारी द्वारा भी किया गया है, जो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–35–33/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

**निबंधक**